NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 26-10-2024

विषय सूची

भारत की आधार प्रणाली

भारत-जर्मनी: हरित हाइड्रोजन, प्रौद्योगिकी और व्यापार पर समझौता ज्ञापन

भारतीय राज्यों में न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF)

संयुक्त राष्ट्र दिवस

असमानता कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक

भारत का इथेनॉल अभियान

संक्षिप्त समाचार

एरी झील

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

मोरमुगाओ बंदरगाह

स्पाइस 2000 बम (SPICE 2000 Bomb)

फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD)

प्रकृति संरक्षण सूचकांक (2024)

विश्व का पहला वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस

मुकाब: विश्व की सबसे बड़ी इमारत

भारत की आधार प्रणाली

संदर्भ

- नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल रोमर, जिन्होंने 2018 का अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता, ने हाल ही में भारत की आधार प्रणाली की प्रशंसा की और इसे विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचारों में से एक बताया।

आधार क्या है?

- आधार संख्या एक 12 अंकों की यादृच्छिक संख्या है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत के निवासियों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जारी की जाती है।
- नामांकन के इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करनी होती है।
    - बायोमेट्रिक जानकारी: दस फिंगरप्रिंट, दो आईरिस स्कैन और चेहरे की तस्वीरें।

भारत का आधार कार्यक्रम

- आधार सामाजिक और वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के वितरण सुधारों, राजकोषीय बजटों के प्रबंधन, सुविधा बढ़ाने और परेशानी मुक्त जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक नीति उपकरण है।
- यह 'डिजिटल इंडिया' के प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिसमें देश के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाती है।
- इसमें विशिष्टता, प्रमाणीकरण, वित्तीय पता और ई-केवाईसी जैसी विशेषताएं हैं, जो सरकार को विभिन्न सब्सिडी के वितरण में सीधे निवासियों तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं।

आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS)?

- ABPS के तहत, श्रमिकों के आधार नंबर को उनके जॉब कार्ड के साथ-साथ उनके बैंक खातों से भी जोड़ा जाता है।
- यह श्रमिक के आधार नंबर को उनके वित्तीय पते के रूप में उपयोग करता है।
    - ABPS के लिए पात्र बनने के लिए, श्रमिकों को अपने आधार कार्ड को अपने जॉब कार्ड से लिंक करवाना होगा और आधार कार्ड पर नाम का मिलान जॉब कार्ड पर नाम से होना चाहिए।
- 1 जनवरी, 2024 से ABPS अनिवार्य हो गया।

ABPS के माध्यम से भुगतान के लाभ

- **आसान और सुरक्षित प्रमाणीकरण:** आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से एक अद्वितीय पहचान विधि प्रदान करता है, जिससे लेन-देन सुरक्षित हो जाता है और धोखाधड़ी का जोखिम कम हो जाता है।
- **सुविधाजनक:** आधार-आधारित भुगतान प्रणाली वित्तीय लेनदेन के लिए भौतिक कार्ड या दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करती है।
- **सब्सिडी कार्यक्रमों में कम हुई चूक::** आधार को प्रायः विभिन्न सरकारी सब्सिडी और कल्याण कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ सीधे इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचें।
- **डिजिटल भुगतान को बढ़ावा:** भुगतान प्रणालियों में आधार को एकीकृत करना डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर सरकार के कम-नकदी अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास में योगदान देता है।
    - यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए व्यापक पहलों के साथ संरेखित है।
- **धोखाधड़ी को कम करना:** JAM ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से आधार को कल्याण कार्यक्रमों और सेवाओं से जोड़कर, लाखों वंचित व्यक्ति अब

सीधे सब्सिडी और लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाती है और धोखाधड़ी कम होती है।

ABPS भुगतान से संबंधित चिंताएं

- **अति-निर्भरता:** तकनीकी साधनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कार्यान्वयन में समस्याएँ आई हैं, जिससे लाभार्थियों को सिस्टम में सुधार के लिए उचित साधन नहीं मिल पाए हैं।
- **प्रमाणीकरण संबंधी समस्याएँ:** ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ व्यक्तियों को खराब कनेक्टिविटी, तकनीकी गड़बड़ियों या आधार डेटाबेस में त्रुटियों जैसे कारकों के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
  - प्रक्रिया के किसी भी चरण में त्रुटि के परिणामस्वरूप भुगतान विफल हो जाता है।
- बैंक खाते को आधार से जोड़ा जाना चाहिए और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के साथ मैप किया जाना चाहिए, ग्रामीण सेटअप में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए ऐसी शर्तें पूरी करना मुश्किल है और आधिकारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खराब बुनियादी ढाँचागत सहायता है।

निष्कर्ष

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि यदि तकनीकी मुद्दे हैं तो वह ग्राम पंचायतों के लिए केस-टू-केस आधार पर ABPS से छूट पर विचार कर सकता है। आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) ने पारदर्शिता को बढ़ाकर और सेवाओं के कुशल वितरण को सुनिश्चित करके भारत के कल्याण परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है।

Source: DTE

भारत-जर्मनी: हरित हाइड्रोजन, प्रौद्योगिकी और व्यापार पर समझौता ज्ञापन

संदर्भ

- हाल ही में, भारत और जर्मनी ने 7वें भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श में कई संधियों, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि तथा भारत-जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

भारत-जर्मनी संबंधों के बारे में

- भारत और जर्मनी के बीच मजबूत एवं बहुआयामी संबंध हैं, जो आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और समान हितों पर आधारित हैं।
- यह राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों की गहराई एवं चौड़ाई को दर्शाता है।

ऐतिहासिक संदर्भ

- भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंध 1951 में स्थापित हुए थे।
- पिछले कई दशकों में ये संबंध विकसित हुए हैं, जिनमें उच्च स्तरीय यात्राएँ, रणनीतिक वार्ताएँ और विभिन्न समझौते शामिल हैं।
- इस सम्बन्ध का आधार साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों के सम्मान और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता पर टिकी है।

समझौतों की मुख्य विशेषताएं

- **ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप:** भारत-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप का अनावरण किया गया, जिसमें निजी क्षेत्र के निवेश, व्यापार और ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की गई।
  - इसका उद्देश्य स्टील, रिफाइनरियों और भारी शुल्क वाले परिवहन जैसे कठिन-से-कम करने वाले क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करना है।

- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** दोनों राष्ट्र नवाचार और प्रौद्योगिकी पर एक रोडमैप पर सहमत हुए, जिसमें उन्नत सामग्रियों पर संयुक्त अनुसंधान एवं विकास शामिल है। इससे दोनों देशों में तकनीकी प्रगति और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जर्मनी का यूरोपीय संघ के माध्यम से भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता (BTIA) है।
  - ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, रसायन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा लगातार बढ़ रही है। नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर चर्चा की, जो पहले ही 30 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है।
  - जर्मनी ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण कच्चे माल और प्रौद्योगिकियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में एकतरफा निर्भरता से बचने के महत्व पर बल दिया।
- **पारस्परिक कानूनी सहायता और सुरक्षा:** कई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं पारस्परिक सुरक्षा पर एक समझौता शामिल है। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कानूनी और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है।
- **सामरिक महत्व:** भारत ने वैश्विक व्यापार एवं विनिर्माण में विविधीकरण तथा जोखिम कम करने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला और जर्मन व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, देश के कुशल कार्यबल और कुशल भारतीयों के लिए वीजा की बढ़ती संख्या 20,000 से 90,000 प्रति वर्ष पर बल दिया।
  - जर्मनी ने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते को वर्षों के बजाय महीनों में अंतिम रूप दिया जा सकता है।

अन्य आयाम

- **राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग:** भारत और जर्मनी नियमित रूप से उच्च-स्तरीय परामर्श में संलग्न हैं, जिसमें अंतर-सरकारी परामर्श (IGC) शामिल है, जो एक अद्वितीय द्विवार्षिक संवाद तंत्र है।
  - दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और COVID-19 के बाद आर्थिक सुधार जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हुए एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और प्रभावी बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
  - G4 राष्ट्र (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की बोली का समर्थन करते हैं।
- **वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग:** दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से सहयोग करते हैं।
  - भारत-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र (IGSTC) संयुक्त अनुसंधान तथा नवाचार परियोजनाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान:** भारत में गोएथे-संस्थान और जर्मनी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) सांस्कृतिक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे आपसी समझ और प्रशंसा को बढ़ावा मिलता है।
  - इसके अतिरिक्त, शैक्षिक सहयोग भी बढ़ रहा है, क्योंकि विभिन्न भारतीय छात्र जर्मनी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में।
- **जलवायु परिवर्तन और सतत विकास:** भारत एवं जर्मनी दोनों ही जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- हालांकि, उनके दृष्टिकोणों को संरेखित करना और संयुक्त पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- हरित और सतत विकास साझेदारी सही दिशा में एक कदम है, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास एवं सहयोग की आवश्यकता है।

चिंताएं और प्रमुख मुद्दे

- **आर्थिक निर्भरताएँ और व्यापार असंतुलन:** व्यापार असंतुलन के बारे में चिंताएँ हैं, भारत प्रायः जर्मनी के साथ व्यापार घाटा चलाता है।
  - दोनों देश निर्भरता को कम करने के लिए अपने आर्थिक संबंधों में विविधता लाने के लिए कार्य कर रहे हैं, विशेषकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के मद्देनजर।
- **भू-राजनीतिक बदलाव और रणनीतिक संरेखण:** भू-राजनीतिक परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है, विशेषकर चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष के साथ।
  - जर्मनी की रणनीतिक धुरी, रक्षा खर्च में वृद्धि और रूस एवं चीन के साथ अपने संबंधों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा चिह्नित, भारत के साथ उसके संबंधों के लिए निहितार्थ है।
  - भारत, यूक्रेन संघर्ष पर एक तटस्थ रुख बनाए रखते हुए, पश्चिमी नीतियों के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के लिए दबाव का सामना कर रहा है।
- **प्रवासन और गतिशीलता:** दोनों देशों के बीच पेशेवरों और छात्रों की आसान आवाजाही की सुविधा के लिए चर्चा चल रही है।
  - हालाँकि, विनियामक चुनौतियाँ और अलग-अलग आव्रजन नीतियाँ महत्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न कर सकती हैं।
  - एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रवासन नीति सुनिश्चित करना एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।

भविष्य की संभावनाओं

- भारत और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन उनके द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ते हैं, जिसमें स्थिरता, नवाचार तथा आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- साथ मिलकर कार्य करके, दोनों राष्ट्र जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त करने और मजबूत हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था स्थापित करने के अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं।

निष्कर्ष

- भारत-जर्मनी संबंधों की विशेषता आपसी विश्वास और साझा आकांक्षाओं की गहरी भावना है।
- जैसे-जैसे दोनों देश 21वीं सदी की जटिलताओं से निपट रहे हैं, उनकी साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है।
- हालिया सहयोग न केवल भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मिसाल भी स्थापित करता है।

Source: BL

भारतीय राज्यों में न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF)

समाचार में

- यह रिपोर्ट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रकाशित नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई।

न्यूनतम आहार विविधता

- न्यूनतम आहार विविधता विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुमोदित एक विश्वसनीय और व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला संकेतक है जो बच्चों के लिए विविध खाद्य समूहों और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और उपभोग को दर्शाता है।
- WHO के अनुसार, पोषण संबंधी कारक लगभग 35 प्रतिशत बाल मृत्यु का कारण बनते हैं और वैश्विक स्तर पर कुल रोग भार में 11 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

हालिया रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **डेटा स्रोत:** वैज्ञानिकों ने बच्चों में MDDF की अनुदैर्ध्य, क्षेत्रीय और विविध पृष्ठभूमि विशेषताओं वाले जनसंख्या समूहों में जांच करने के लिए राउंड 3, 4 और 5 से राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) डेटासेट का उपयोग किया।
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत NFHS सर्वेक्षणों ने भारत को कवर करते हुए प्रतिनिधि डेटा प्रदान किया। MDDF दर NFHS-3 (2005-06) में 87.4% से घटकर NFHS-5 (2019-21) में 77.1% हो गई।
- **MDDF की व्यापकता:** गिरावट के बावजूद, आठ भारतीय राज्यों, मुख्य रूप से उत्तर, मध्य और पश्चिम में, अभी भी 6-23 महीने की आयु के बच्चों में 80% से अधिक MDDF है।
  - उत्तर प्रदेश (86.1%), राजस्थान (85.1%), गुजरात (84%), महाराष्ट्र (81.9%), और मध्य प्रदेश (81.6%) सबसे अधिक हैं।
- **क्षेत्रीय रुझान:** 2019-21 तक मध्य भारत में सबसे अधिक MDDF (84.6%) था। विश्लेषण किए गए 707 जिलों में से सिर्फ़ 95 में ही MDDF का प्रचलन 60% से कम दिखा, मुख्य रूप से दक्षिण, पूर्व, उत्तर-पूर्व और उत्तर में।
- **आहार विविधता:** अंडे, विटामिन A युक्त खाद्य पदार्थ, सब्ज़ियाँ और मांसाहारी खाद्य पदार्थों सहित आठ समूहों के अंदर खाद्य पदार्थों की खपत NFHS-3 से NFHS-5 तक बढ़ गई।

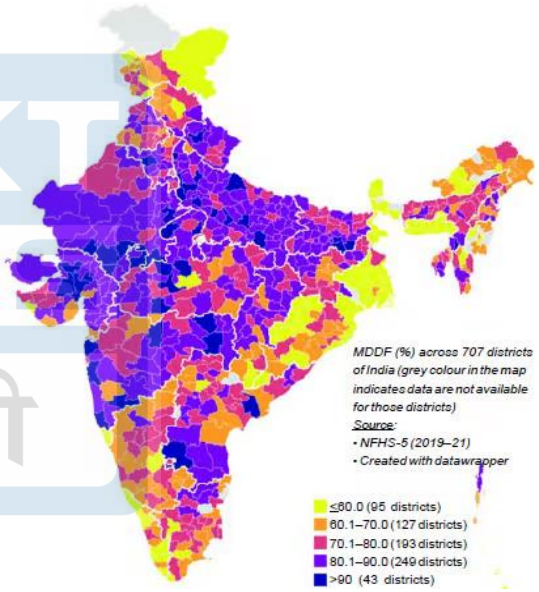

- **MDDF को प्रभावित करने वाले कारक:** लॉजिस्टिक मॉडलिंग में पाया गया कि युवा, अशिक्षित माताओं, गरीब परिवारों, एनीमिया से पीड़ित बच्चों, कम वजन वाले शिशुओं, तथा आंगनवाड़ी/ICDS केंद्रों पर नियमित स्वास्थ्य जांच न कराने वाले बच्चों में MDDF अधिक है।

अनुशंसाएँ

- अध्ययन में पोषण संसाधन वितरण में गहन नीतिगत हस्तक्षेप, कुपोषण और आहार उपभोग की जांच के लिए लाभार्थी जनसँख्या की काउंसलिंग और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए स्थानीय स्वशासन प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- पोषण अभियान और ICDS जैसे कार्यक्रम सक्रिय हैं, लेकिन पोषण संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए मजबूत अभिसरण की आवश्यकता है।

Source: DTE

संयुक्त राष्ट्र दिवस

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में

- यह दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बीच शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी।
- "संयुक्त राष्ट्र" शब्द को पहली बार 1 जनवरी, 1942 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा गढ़ा गया था।
  - संगठन की शुरुआत 51 सदस्य देशों से हुई थी और अब यह 193 देशों तक बढ़ गया है।
- संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाएँ इस प्रकार हैं:
  - अरबी
  - चीनी
  - अंग्रेजी
  - फ्रेंच
  - रूसी
  - स्पेनिश
- सदस्य देश एक स्थापित मूल्यांकन पैमाने के अनुसार भुगतान करते हैं। यह पैमाना जनसंख्या के आकार, राष्ट्रीय राजस्व और किसी देश की भुगतान करने की क्षमता से निर्धारित होता है।
  - शीर्ष चार योगदानकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन और जर्मनी हैं।

विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र का योगदान

- **परमाणु प्रसार को रोकना:** अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंदर एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। यह 50 से अधिक वर्षों से विश्व का परमाणु निरीक्षक रहा है।
  - IAEA यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा उपायों के तहत परमाणु सामग्री का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। वर्तमान में 180 से अधिक देशों ने एजेंसी के साथ सुरक्षा समझौते किए हैं।
- **शांति और सुरक्षा बनाए रखना:** पिछले 60 वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र शांति पुनर्स्थापना करने में सक्षम रहा है, जिससे विश्व के अशांत क्षेत्रों में शांति और पर्यवेक्षक दल भेजकर कई देशों को हिंसा से निकलने में सहायता मिली है।
- **निरस्त्रीकरण का समर्थन:** संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण प्रयासों का समर्थन करता है -
  - रासायनिक हथियार सम्मेलन-1997 माइन-बैन सम्मेलन-1997, शस्त्र व्यापार संधि-2014।
  - संयुक्त राष्ट्र शांति सेना युद्धरत पक्षों के बीच निरस्त्रीकरण समझौतों को लागू करने के लिए।
- **विकास को बढ़ावा देना:** सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (MDG) ने वर्ष 2000 से विश्व भर में जीवन स्तर, मानवीय क्षमताओं और संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य किया है।
  - संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) 150 से अधिक देशों में कार्य करता है, जो मुख्य रूप से बाल संरक्षण, टीकाकरण, लड़कियों की शिक्षा और आपातकालीन सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) गरीबी से निपटने, सुशासन को प्रोत्साहित करने, संकटों से निपटने और पर्यावरण की रक्षा के लिए 4,800 से अधिक परियोजनाओं का समर्थन करता है।

- **आर्थिक विकास:** संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD), विकासशील देशों को उनकी व्यापार संभावनाओं को अधिकतम करने में सहायता करता है।
  - विश्व बैंक ने 1947 से अब तक 170 से अधिक देशों में 12,000 से अधिक परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है और विकासशील देशों को ऋण एवं धन देता है।
- **वैश्विक थिंक टैंक:** संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का केंद्र है, जो वैश्विक आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, लिंग, पर्यावरण एवं ऊर्जा प्रवृत्तियों पर डेटा एकत्र करता है और उसका प्रसार करता है।
  - संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग वैश्विक जनसंख्या प्रवृत्तियों पर सूचना और अनुसंधान का एक प्रमुख स्रोत है, जो अद्यतन अनुमान तथा जनसांख्यिकीय अनुमान तैयार करता है।
- **ऐतिहासिक वास्तुकला और प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण:** यूनेस्को ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा में 137 देशों की सहायता की है।
  - सांस्कृतिक संपत्तियों, सांस्कृतिक विविधता और असाधारण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थानों की सुरक्षा के लिए, इसने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर वार्तालाप की है।
  - इनमें से एक हज़ार से ज़्यादा स्थानों को उनके उल्लेखनीय सार्वभौमिक महत्व के कारण विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जिसके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC), जो 2,000 अग्रणी जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिकों को एक साथ लाता है, प्रत्येक 5-6 वर्ष में व्यापक वैज्ञानिक आकलन जारी करता है।
- **मानवाधिकारों पर पहल:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया। इसने राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर दर्जनों कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों को लागू करने में सहायता की है।
  - संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकायों ने यातना, गायब होने, मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने और अन्य उल्लंघनों के मामलों पर विश्व का ध्यान केंद्रित किया है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका क्या है?

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के गठन और उसके बाद की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों में से एक के रूप में, भारत ने 1919 में वर्साय की संधि में अपनी भागीदारी के कारण UN में स्वतः प्रवेश प्राप्त किया। 1944 में, भारत ने अन्य मूल UN सदस्यों के साथ वाशिंगटन डी.सी. में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा ने UN और संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना की नींव रखी।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जिस पर 1945 में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, ने UN के अस्तित्व को औपचारिक रूप दिया।
- भारत ने 1946 की शुरुआत में ही उपनिवेशवाद, रंगभेद और नस्लीय भेदभाव जैसे मुद्दों पर सक्रिय रूप से चिंता व्यक्त की। वास्तव में, भारत पहला देश था जिसने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के मुद्दे को UN के ध्यान में लाया।
- भारत ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रारूपण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, यूएन के साथ भारत का अनुभव हमेशा सकारात्मक नहीं रहा है।
- कश्मीर मुद्दे के मामले में, संयुक्त राष्ट्र में भारत की आस्था और उसके सिद्धांतों का पालन करना महंगा साबित हुआ, क्योंकि संगठन पाकिस्तान समर्थक शक्तियों से प्रभावित दिखाई दिया।

- भारत संयुक्त राष्ट्र दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों और उसकी उपलब्धियों के उद्देश्य को भी पहचानता है और लोगों को जागरूक करता है।

Source: TH

असमानता कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक

संदर्भ

- यह सूचकांक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल (DFI) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो असमानता को कम करने के लिए 164 देशों की प्रतिबद्धता को मापता है।

परिचय

- सूचकांक के पांचवें संस्करण में देशों को सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च (शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा), प्रगतिशील कराधान और श्रम अधिकारों एवं मजदूरी से संबंधित नीतियों के आधार पर रैंकिंग दी गई।

प्रमुख हाइलाइट्स

- दस में से नौ देश ऐसी नीतियों और कार्रवाइयों को लागू कर रहे हैं जिनसे आर्थिक असमानता बढ़ने की संभावना है।
- **बड़ी कटौतियाँ:** 84 प्रतिशत देशों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में निवेश में कटौती की है, 81 प्रतिशत ने असमानता को कम करने की अपनी कर प्रणालियों की क्षमता को कमज़ोर किया है, और उनमें से 90 प्रतिशत में, श्रम अधिकार तथा न्यूनतम मज़दूरी की स्थिति ख़राब हुई है।
- **सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले:** ये सभी उच्च आय वाले देश हैं, जिनमें नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ़िनलैंड अग्रणी हैं।
- **श्रम नीतियाँ:** ये देश बहुत कम मज़दूरी असमानता से शुरू होते हैं।
  - इनका सामाजिक व्यय अधिक है और ये अधिक कर राजस्व एकत्र करते हैं।
  - बेलारूस, कोस्टा रिका और दक्षिण अफ़्रीका निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
- **सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले:** ये निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देश हैं, जो सभी उप-सहारा अफ़्रीका (दक्षिण सूडान, नाइजीरिया, ज़िम्बाब्वे, युगांडा, मध्य अफ़्रीकी गणराज्य, लाइबेरिया, सिएरा लियोन और बुरुंडी) में स्थित हैं।

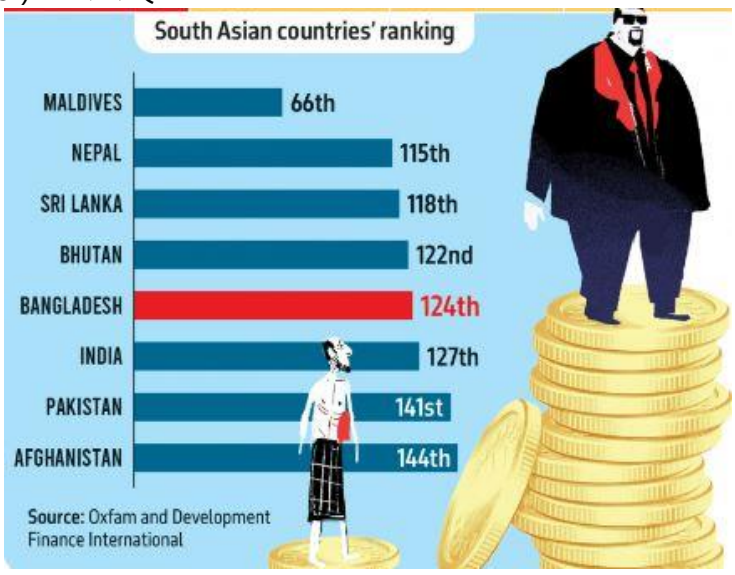

- **अनुशंसाएँ:**
  - असमानता को कम करने के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय समयबद्ध योजनाएँ विकसित करें।
  - शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को प्राथमिकता दें।
  - सबसे धनी 1% की आय पर कर लगाकर प्रगतिशील कराधान बढ़ाएँ।
  - सभी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए श्रम बाजार में हस्तक्षेप करें।
  - अवैतनिक देखभाल कार्य को पहचानने, कम करने और पुनर्वितरित करने के लिए लिंग-संवेदनशील नीतियाँ विकसित करें और यह सुनिश्चित करें कि भुगतान किए गए देखभाल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व एवं उचित रूप से पुरस्कृत किया जाए।

Source: DTE

भारत का इथेनॉल अभियान

संदर्भ

- भारत इथेनॉल मिश्रण जैसी सतत प्रथाओं को अपनाकर अपने ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

परिचय

- पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने की परम्परा 2001 में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू हुई थी।
- इथेनॉल मिश्रण के प्रति सरकार ने 2030 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस लक्ष्य को 2025-26 से बहुत पहले प्राप्त कर लेंगे।

इथेनॉल

- इथेनॉल एक निर्जल एथिल अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C_2H_5OH है।
- इसे गन्ना, मक्का, गेहूँ आदि से बनाया जा सकता है, जिनमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है।
- भारत में, इथेनॉल मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा गन्ने के गुड़ से बनाया जाता है। इसे विभिन्न मिश्रण बनाने के लिए गैसोलीन के साथ मिलाया जा सकता है।
- **अनुप्रयोग:** इसका व्यापक रूप से न केवल वैकल्पिक ईंधन स्रोत के रूप में बल्कि विभिन्न उद्योगों में रासायनिक विलायक के रूप में और कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में भी उपयोग किया जाता है।
  - इथेनॉल में एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में चिकित्सा अनुप्रयोग भी हैं, जो इसके बहुमुखी उपयोगों को जोड़ते हैं।

इथेनॉल सम्मिश्रण

- इथेनॉल मिश्रण से तात्पर्य गैसोलीन के साथ इथेनॉल को मिलाकर ईंधन मिश्रण बनाने की प्रथा से है जिसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है।
- कुछ सामान्य मिश्रण हैं:
  - **E10:** यह 10% इथेनॉल और 90% गैसोलीन का मिश्रण है। यह सबसे सामान्य मिश्रण है और कई देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
  - **E15:** इस मिश्रण में 15% इथेनॉल और 85% गैसोलीन होता है।
  - **E85:** यह एक उच्च-इथेनॉल मिश्रण है, जिसमें 85% इथेनॉल और 15% गैसोलीन होता है। इसका उपयोग उच्च इथेनॉल सामग्री पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में किया जाता है।
- **महत्व:** चूंकि इथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होता है, इसलिए यह इंजन को ईंधन को अधिक पूरी तरह से जलाने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप कम उत्सर्जन होता है और इस तरह पर्यावरण प्रदूषण की घटना कम होती है।

- चूंकि इथेनॉल पौधों से उत्पादित होता है, इसलिए इसे नवीकरणीय ईंधन भी माना जाता है।

आवश्यकता

- मार्च 2024 तक, सड़क परिवहन क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले ईंधन का लगभग 98% जीवाश्म ईंधन से आता है, जबकि केवल 2% की पूर्ति इथेनॉल जैसे जैव ईंधन से होती है।
- जीवाश्म ईंधन पर यह निर्भरता ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा बहिर्वाह और पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है।
- इथेनॉल मिश्रण के साथ, भारत के पास पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हुए आयातित तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने का एक आशाजनक अवसर है।

भारत का इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम

- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम 2003 में शुरू किया गया था।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना तथा ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना था।
- **उद्देश्य**
  - **आयात निर्भरता कम करना:** भारत का लक्ष्य आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करना है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में सुधार हो।
  - **पर्यावरणीय लाभ:** इथेनॉल गैसोलीन की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है, जो वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करता है।
  - **किसानों के लिए सहायता:** यह कार्यक्रम इथेनॉल के लिए बाज़ार उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र का समर्थन करता है, जिसे प्रायः गन्ना, मक्का या अन्य फसलों से प्राप्त किया जाता है।
- **प्रमुख घटक**
  - **मिश्रण लक्ष्य:** भारत ने इथेनॉल मिश्रण के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उदाहरण के लिए, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति (2018) में 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** मिश्रण लक्ष्यों को चरणों में लागू किया जा रहा है, धीरे-धीरे E20 जैसे उच्च मिश्रणों की ओर अग्रसर है।
  - **बुनियादी ढांचे का विकास:** सरकार इथेनॉल उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है, जिसमें अधिक इथेनॉल उत्पादन सुविधाएँ और मिश्रण इकाइयाँ स्थापित करना शामिल है।
  - **प्रोत्साहन और सहायता:** इथेनॉल उत्पादन और मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन तथा सहायता तंत्र प्रदान किए जाते हैं। इसमें इथेनॉल उत्पादकों के लिए सब्सिडी एवं बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

EBP की प्रमुख उपलब्धियां

- वर्तमान इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2023-24 में, मिश्रण प्रतिशत मिश्रित इथेनॉल के 13% को पार कर गया।
- यह समग्र इथेनॉल मिश्रण प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि को रेखांकित करता है, जो 2014 में 1.53% से बढ़कर 2024 में प्रभावशाली 15% हो गया है।
- 2024 में 15% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने के बाद, सरकार ने 2025 तक 20% मिश्रण प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

चुनौतियां

- **बुनियादी ढांचा:** बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन और मिश्रण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करना जटिल तथा महंगा हो सकता है।

- **फीडस्टॉक उपलब्धता:** इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने जैसे कच्चे माल की स्थिर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर बदलती कृषि स्थितियों और बाजार में उतार-चढ़ाव के मद्देनजर।
- **उपभोक्ता स्वीकृति:** उपभोक्ताओं को शिक्षित करना और यह सुनिश्चित करना कि वाहन उच्च इथेनॉल मिश्रणों पर कुशलतापूर्वक चल सकें, कार्यक्रम की सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

- भारत का इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा स्वतंत्रता के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित, अधिक सतत और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

एरी झील

संदर्भ

- एरी झील के निकट स्थित एक प्रयोगशाला में शोधकर्ता अध्ययन कर रहे हैं कि विषैले शैवाल किस प्रकार स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं।

परिचय

- एरी झील उत्तरी अमेरिका की पाँच महान झीलों में से एक है और सतही क्षेत्र के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी झील है।
- इसकी सीमा दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर में कनाडा से लगती है।
- यह सतही क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की 13वीं सबसे बड़ी झील है।
- सतही क्षेत्र की दृष्टि ग्रेट लेक्स में यह दूसरी सबसे छोटी झील है।
- ग्रेट लेक्स पूर्व-मध्य उत्तरी अमेरिका में गहरे मीठे पानी की झीलों की श्रृंखला है जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो झीलें शामिल हैं।

Source: IE

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन

समाचार में

- केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है, तथा प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण के लिए एक स्वायत्त निकाय, जिसे संभवतः राष्ट्रीय पांडुलिपि प्राधिकरण नाम दिया जा सकता है, के निर्माण पर विचार कर रहा है।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) के बारे में

- इसे 2003 में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत के पांडुलिपियों के विशाल संग्रह की खोज और संरक्षण करना है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग दस मिलियन है, जिसमें विभिन्न विषय, लिपियाँ, भाषाएँ तथा कलात्मक शैलियाँ शामिल हैं।
- इसका मुख्य कार्य भारत की पांडुलिपि विरासत की पहचान करना, उसका दस्तावेजीकरण करना, उसे संरक्षित करना और उसे सुलभ बनाना है।
- उपलब्धियों में 5.2 मिलियन पांडुलिपियों के लिए मेटाडेटा बनाना और 300,000 से अधिक शीर्षकों का डिजिटलीकरण करना शामिल है, हालाँकि केवल एक तिहाई ही अपलोड किए गए हैं।
- नोट किए गए मुद्दों में डिजिटाइज्ड मेटाडेटा और पांडुलिपियों के बीच बेमेल और सीमित पहुँच शामिल है, जिसमें 130,000 अपलोड की गई पांडुलिपियों में से 70,000 को एक्सेस पॉलिसी की कमी के कारण देखा जा सकता है, जो विशेष रूप से निजी पांडुलिपि मालिकों को प्रभावित करता है, जिनके पास 80% पांडुलिपियाँ हैं।

Source: TH

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना(PMMY)

समाचार में

- सरकार ने भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत ऋण सीमा को दोगुना करके 20 लाख रुपये कर दिया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के बारे में

- प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया था।
- इसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े और अब तक सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों को वित्तीय समावेशन और सहायता प्रदान करना है।
- **श्रेणियाँ:** मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं, जैसे 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' जो उधारकर्ताओं की वृद्धि या विकास और वित्तपोषण आवश्यकताओं के चरण को दर्शाते हैं:-
  - **शिशु:** 50,000 रुपये तक के ऋण को कवर करना
  - **किशोर:** 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना
  - **तरुण:** 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना
- **नवीनतम घटनाक्रम:** विशेष रूप से पात्र उद्यमियों के लिए ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के ऋण के लिए एक नई "तरुण प्लस" श्रेणी शुरू की जाएगी।
- केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित इस परिवर्तन का उद्देश्य उन उद्यमियों को समर्थन देना है, जिन्होंने पहले "तरुण श्रेणी" के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है।
- 20 लाख रुपये तक की राशि के लिए PMMY ऋणों की गारंटी कवरेज माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) के तहत प्रदान की जाएगी।

Source: TH

मोरमुगाओ बंदरगाह

समाचार में

- मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण को पर्यावरण जहाज सूचकांक (ESI) पोर्टल पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है, जिसे बंदरगाहों और बंदरगाहों के अंतर्राष्ट्रीय संघ (IAPH) द्वारा भी मान्यता प्राप्त हुई है।

मोरमुगाओ बंदरगाह के बारे में

- मोरमुगाओ बंदरगाह की स्थापना 1885 में गोवा के पश्चिमी तट पर की गई थी।
- यह भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है, जिसमें जुआरी नदी के मुहाने पर एक प्राकृतिक, संरक्षित बंदरगाह है।
- यह गोवा के निर्यात उद्योग का समर्थन करता है और 1964 में एक प्रमुख राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया, जिसने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- यह भारत का पहला बंदरगाह है जिसने पर्यावरण जहाज सूचकांक (ESI) के माध्यम से ग्रीन शिप प्रोत्साहन शुरू किया है, जिसका "हरित श्रेय" कार्यक्रम अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया है, जो जहाजों के ESI स्कोर के आधार पर छूट प्रदान करता है।
- अगस्त 2024 में, IAPH महासचिव ने जापान और ओमान के साथ एशिया में मोरमुगाओ के नेतृत्व को देखते हुए ग्रीन शिपिंग के लिए बंदरगाह की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।
    - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन से कई जहाजों को लाभ हुआ है, और बंदरगाह ने IAPH स्थिरता पुरस्कारों के लिए योजना प्रस्तुत की है।

Source: PIB

नेफेड(NAFED)

संदर्भ

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने दीपक अग्रवाल को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।

NAFED के बारे में

- इसकी स्थापना 2 अक्टूबर, 1958 को किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है और कृषि मंत्रालय के अधीन आता है।

Source: IE

स्पाइस 2000 बम(SPICE 2000 Bomb)

समाचार में

- इजराइल ने बेरूत में एक इमारत को नष्ट करने के लिए SPICE 2000 बम का प्रक्षेपण किया।

SPICE बम के बारे में

- SPICE 2000 एक प्रकार का निर्देशित बम है, जिसे प्रायः "स्मार्ट बम" कहा जाता है।
- इसे इज़राइल के स्वामित्व वाली राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाया गया है।
- SPICE बम विशिष्ट स्थानों को सटीक रूप से लक्षित करने के लिए उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करते हैं।

- यह प्रणाली विशिष्ट स्थानों को नेविगेट करने और लक्षित करने के लिए GPS तथा इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर दोनों का उपयोग करती है।

Source: TOI

फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन(FGD)

संदर्भ

- पंजाब सरकार को राज्य भर में ताप विद्युत संयंत्रों (TPPs) में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) प्रणाली की समय पर स्थापना न करने पर जुर्माना लग सकता है।

परिचय

- फ़्लू गैस डिसल्फ़राइज़ेशन प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जिसका उपयोग जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं के निकास फ़्लू गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) को हटाने के लिए किया जाता है।
- वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण नियमों को पूरा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने 2015 में पूरे भारत में सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए FGD सिस्टम को अनिवार्य किया था।

Source: DTE

प्रकृति संरक्षण सूचकांक (2024)

समाचार में

- प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 45.5 अंक के साथ 176वें स्थान (180 में से) पर रहा, जो खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।

निम्न रैंकिंग के कारण

- बढ़ती जनसंख्या घनत्व के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर उच्च दबाव
- संरक्षण नीतियों का अपर्याप्त प्रवर्तन

सूचकांक के बारे में

- इसे नेगेव के बेन-गुरियन विश्वविद्यालय में गोल्डमैन सोननफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा विकसित किया गया है।
- NCI किसी देश के संरक्षण प्रयासों का आकलन करने के लिए चार प्रमुख मार्करों का उपयोग करता है:
  - भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरे, क्षमता और शासन, भविष्य के रुझान
- NCI रिपोर्ट भारत के लिए एक स्थायी और पारिस्थितिक रूप से अनुकूल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों में सुधार करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

Source: DTE

विश्व का पहला वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस

संदर्भ

- विश्व के प्रथम वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस का अनावरण संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (CBD) के 16वें सम्मेलन (COP16) में किया गया।

परिचय

- ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन (GEO) द्वारा विकसित यह उपकरण विश्व भर के पारिस्थितिकी तंत्रों के मानचित्रण और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने वाला अपनी तरह का प्रथम उपकरण है।

- एटलस वर्तमान राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र मानचित्रों को जोड़ता है और पृथ्वी अवलोकन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं क्षेत्र डेटा संग्रह जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके अंतराल को समाप्त करता है।
- यह ओपन-सोर्स है, यह सभी के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ होगा।
- यह विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के स्वास्थ्य और जोखिमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जो सरकारों, व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों एवं स्थानीय समुदायों को स्थायी प्रबंधन के लिए बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकता है।

Source: DTE

मुकाब: विश्व की सबसे बड़ी इमारत

संदर्भ

- सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर मुकाब का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है - यदि यह पूरा हो गया तो यह विश्व की सबसे बड़ी संरचना बन जाएगी।

परिचय

- राजधानी रियाद में स्थित, यह 400 मीटर क्यूब के आकार की इमारत दो मिलियन वर्ग मीटर के चौंका देने वाले फ़्लोर स्पेस को घेरती है, जो न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बीस गुना के बराबर है।
- 'मुकाब' महत्वाकांक्षी 'न्यू मुरब्बा' परियोजना का भाग है, जिसका उद्देश्य रियाद शहर को पुनर्जीवित करना और किंगडम के विज़न 2030 पहल में महत्वपूर्ण योगदान देना है।
- मुकाब का निर्माण आधुनिक नजदी वास्तुकला शैली का उपयोग करके किया जाएगा, जो सऊदी अरब में सबसे प्रचलित वास्तुशिल्प पैटर्न में से एक है।

नज्दी स्थापत्य शैली में तीन मुख्य कारक सम्मिलित हैं:

- गर्म रेगिस्तानी जलवायु का सामना करने की आवश्यकता,
- आवासीय भवनों में गोपनीयता की आवश्यकता, और
- मिट्टी, ईंट, पत्थर और लकड़ी जैसी स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करने की आवश्यकता।

Source: IE

■■■■